(59)

मण्डल

न्यायालय राजस्व न्यायालय, ग्वालियर(मध्यप्रदेश)

(1)

प्रकरण कमांक ..../2010 निगरानी (श्योपुर)

R-1399-II/2010

अनवर हुसैन पुत्र सुल्तान बक्श जाति मुसलमान निवासी श्योपुर तहसील व जिला श्योपुर

........निगरानीकर्ता

बी० एस० धाकड़ अभिभाषक...
7/X/10

बनाम

1 वली मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी श्योपुर

2 पटवारी मौजा कस्बा श्योपुर तहसील व जिला श्योपुर

..........प्रतिनिगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 विरूद्व आदेश दिनांक 12.08.2010 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना प्रकरण कमांक 55/2008–09 वउनवान अनवर हुसैन बनाम वली मोहम्मद आदि

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

7/10/10
B.S. Dhakad Adv.

1 यह कि, निगरानीकर्ता द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर श्योपुर के आदेश दिनांक 07.07.2008 के विरूद्व पेश की थी तथा उक्त निगरानी के साथ धारा 5 अवधि विधान का आवेदनपत्र भी पेश किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानी का गुणदोष पर निराकरण किये बिना धारा 5 अवधि विधान का आवेदन निरस्त कर दिया तथा अपील भी निरस्त कर दी इस कारण वर्तमान निगरानी न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है ।

2 यह कि, प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कस्बा श्योपुर में स्थित सर्वे कमांक 809 रकवा 4 विस्वा भूमि निगरानीकर्ता के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है उक्त भूमि नगरीय क्षेत्र में स्थित होने से तरभीम किया जाना आवश्यक है जिससे भविष्य में विवाद उत्पन्न नहीं हो सके ।

3 यह कि, निगरानीकर्ता के आवेदन पर से पटवारी मौजा श्योपुर से प्रतिवेदन चाहा गया पटवारी मौजा द्वारा प्रतिवेदन में सर्वे कमांक 809

R. 1399/II/10 श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10.7.17	आवेदक अभि. श्री वी.एस. धाकड़ दिनांक 14.3.16 से लगातार अनुपस्थित हो रहे हैं। आवेदक अभि. उक्त प्रकरण में रुचि नहीं ले रहे हैं आज भी तीन बार आवाज लगायी गई परन्तु कोई उप. नहीं हुआ है अना. 2 शासकीय पैनल अभि. उप.। अना. 1 को चस्पा से तामील की जा चुकी है परन्तु कोई उप. नहीं हुआ है। अतः उक्त प्रकरण अनुपस्थिति एवं अरुचि की स्थिति में समाप्त किया जाता है। रिकॉर्ड दा.हो। सदस्य	